

तेवा हैं -

श्री मान डिप्टी रविक्तार  
फर्म, तोतायटोज तथा पिट्ट  
कालपुर मण्डल, लालपुर।

पिट्ट : - मुंस्था - यन्द्र मान सिंह मेमो रिप्लि गिरिधारा तंद्यान, ग्रा० प्र००  
प्र० ५० तह० डेरापुर जनपद कालपुर देहांडे पंजाब के तंद्यान में ।

महोदय :-

निम्नलिखित है कि मुंस्था अपरोक्ष पुजाकरण द्वारा आवश्यक तत्त्व पुफ्त  
स्तुति पत्र - निम्नाख्यों के द्वारा उन्हें मुंस्था पूर्व पुंजीकृत न होने वा नोटरी  
प्राप्ति एवं अपेक्षा पंजीयन शाल तकि आपको तेवा हैं या तुत लिये जा रहे हैं ।

उपरोक्ष : - कि मुंस्था द्वारा पुंजीकरण द्वारा आपका पारित हर  
पुरापालक आरोपण से बचा करना । महान् दृष्टि होना ।

अंतर्गत :-

1 : - वृत्ति पत्र सुन निष्पाप्ति दो प्रतियों में ।

2 : - नोटरी शाप्ति पत्र ।

3 : - पंजीयन शाल 1000/रु० नकद ।

दिनांक :-

मुद्रित

Shashi Prakash Singh

वास्तविक वाचा द्वि ।

पुबलक / मन्त्री

७/१२०५

मुंस्था रुप रिवर्ले  
मुंस्था रुप रिवर्ले



Scanned with OKEN Scanner

=====

- 1:- संस्था का नाम :- धन्द्र मान तिहमेगोरियल शिक्षण संस्थान ।  
 2:- संस्था का पता :- ग्राम पीप बे ल तहसील डेरापुर जनपद का नपुर देहात ।  
 3:- संस्था का कार्य क्षेत्र :- कम्पूर्फ उत्तोर प्रेस्ट्री ।  
 4:- संस्था के उद्देश्य :-

१। भारतीय जनता में सामाजिक, सांख्यिक, आर्थिक, मानविक, नैतिक  
धैर्यात्मिक, प्रार्थना, शारीरिक, मानसिक सुरक्षा का प्रयात्र व प्रशार

*Shashi Bhushan Singh* लाभ लाभ का लाभ सम्पर्क, शिक्षित सुरक्षादाती हो सके ।

प्रारंभिक सारी देश २। शिक्षा जगत में अपना महत्वपूर्ण योगदान करते हुए उसे प्रशार, प्रशार तथा  
सम्बन्धीय विकास के लिए लूप, छालेज, फिलालय, महाप्रशारालय, पुस्तकालय एवं वाचनालयों  
को छोला और सभी छिपाए, तभी भावाओं में प्रारम्भिक क्षर लेकर उच्च  
शार तक लाने सुरक्षा विकासों के लिये शिक्षा की उत्तम व्यवस्था करना ।

३। महिलाओं के तर्पणों विकास के लिए शिक्षा क्लियाण के न्द्रो, नारी  
निकेतनो, शिल्प कला के न्द्रो, बाल सुरक्षा पालन गृहो, लिंगार्ड, कटार्ड  
बुनार्ड, नृत्य, गायन, बाल आदि के शिक्षण सुरक्षा प्रशिक्षण के न्द्रो को छोलना  
किशोरी सुधार मुठ बन रुधार गृह जनाधारालय, शार्ट से होम, विध्मा एवं  
परिवक्ता महिला पुरियात के न्द्रो को स्थापना व संवालन करना ।

४। सुधा पीढ़ी को आत्म निर्भार बनाने के लिए कम्प्यूटर, टेली वीजन, ऐडियो, फिल  
कल्कुलेटर, टेप रिकार्ड, मोबाइल, बी ०८१ ०८०, सी ०८१ ०८० ऐपर जैसे झेवट्ज निकस  
बक्सों को मरम्मत, संवालन व निर्माण सुवन्धे शिक्षा सुरक्षा प्रशिक्षण के न्द्रो  
को छोलना अब्दो बाधनालयों बनाना ।

५। समाज क्लियाण विभाग, मानव संवालन विकास मन्त्रालय, पर्यावरण विभाग  
ग्राम्य विकास अभियान, नगरीय विकास अभियान, बुडा / बुडा तेल, कपाट  
नापाड, पूर्वी तिप्पा, लिङ्गम, नोराड, आपाड, महिला क्लियाण निगम, बाल  
विकास सुरक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभागी, जनुभागी द्वारा तंचालित  
समता प्रकार के कार्यक्रमों सुरक्षा योजनाओं का संवालन, प्रशार, प्रशार तथा उनका  
क्रियान्वयन करना ।

६। समाज में राष्ट्रीयता, स्फता, अल्पता, भी निरपेक्षता, तर्व व्यं संभाव  
शार्जप्रदायिक स्वर्गालय, राष्ट्रप्रेम सुरक्षा प्रयोग कृदम्बक्षम की भावनाओं को जागृत  
करना और बाल, सुख, दुःख, शूक्रम, तुफान, दुर्घटना सुरक्षीय आपदा पीड़ितों  
को सहायता करना ।

5:- प्रबन्धकारिणी तमिति के पदा फिराएर्यों सं तदत्यो के नाम, पद, पद सं व्यवसाय  
जिनको सुन्दरा के नियमानुसार कार्य भार लौपा गया है।

क्रम नाम / पिता / पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1:- श्री मतो शिंग कुमारो देवो नहरपुल ग्राम पो.० ग्राम, कानपुर देहात अध्यक्ष साजेवा त्व.० श्री चन्द्रमान सिंह	-	-	-
2:- श्री मतो शशीकाला सिंह नहरपुल ग्राम पो.० ग्राम, कानपुर देहात प्रबन्धक / मन्त्री जनतेवा श्री तंतोद्धर्म कुमार सिंह गोर	-	-	-
3:- श्री मतो मिथोला शशीपाला ३७१८ चौक घडेकाला, नई दिल्ली कोष्ठाध्यक्ष जनतेवा श्री बाल सिंह कुमारपाला	-	-	-
4:- श्री मतो लोभा सिंह श्री शिंगाना चौक, फेल्पुर	-	तदत्य	जनतेवा
5:- श्री मतो लरुडा सिंह सु०पो० कटरा जनपद शांदा	-	तदत्य	जनतेवा
6:- श्री मतो लवा चौहान सु०पो०८ रम्लाबाद जनपद कानपुर देहात तदत्य श्री चन्द्रप्रताप सिंह चौहान	-	तदत्य	जनतेवा
7:- श्री शैलेन्द्र सिंह सु०पो० गल्लापुर जनपद छलाबाद	-	तदत्य	साजेवा
8:- श्री रामनाथ श्री० गर्डिया पो०८ किशोरा, कानपुर देहात तदत्य श्री बाल	-	तदत्य	कृषि
9:- श्री गोपी चतुर श्री० पो०८ किशोरा जनपद कानपुर देहात तदत्य श्री बन्दो	-	तदत्य	कृषि

6:- हमारी इन दस्तावेजों के बारे में बताते हैं कि इस समूह पत्र संघ संलग्न नियमान्वयों के अनुसार  
तीसायटीज एजेस्टेशन अधिनियम १८६८ के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया गया है।

लिपुणः :-

श्री बालेश्वर कुमार  
श्रीमा सिंह  
श्रीलला सिंह  
उच्चारोहान  
श्रीलला सिंह  
रामनाथ  
अमृतवर्ण

Shashi Bala Singh  
श्रीकृष्णमारुदेवी  
७

:x: नियमाबली :x:

- 1:- संस्था का नाम :- यन्दु भान सिंह भेमोरियल ग्राहण संस्थान ।
- 2:- संस्था का पता :- ग्राहण पोर्ट बैंक घट्टडेरापुर, जलपद कानपुर देहात ।
- 3:- संस्था का कार्य क्षेत्र :- तमूरी उत्तर प्रदेश ।
- 4:- संस्था के उद्देश्य :- सूक्ष्मि फ्र के अनुसार होगे ।
- 5:- संस्था की संख्या संख्या तदत्यो के बारे :-

**इच्छा आजीवन सदत्य :-**

संस्था को स्क बार में स्क सूक्ष्मि स्वयं पाँच हजार स्क तीन लाख या इसीसे अधिक सूक्ष्मि को अचल संपत्ति दान संख्या प्रदान करने वालो को आजीवन सदत्य बनाया जायेगा ।

**इच्छा तामाच्य सदत्य :-**

संस्था की पुरुति एवं 101/ 80 वार्षिक सदत्यता ग्रृह्ण प्रदान करने वालो को तामाच्य सदत्य बनाया जायेगा ।

- 6:- सदत्यता की व्यापिस :-

Shashi Balaji Singh

प्रावक्तु भाईटेकी

शिवालिक नगर 2014/15

सूक्ष्मि होने पर, पागल होने पर, दोषालिया होने पर, शोषण होने पर, फिरी त्यागालय छारा छुंडित होने पर, संस्था के नियमों का पालन न करने पर नियमानुसार सदत्यता ग्रृह्ण करने पर, लगातार तीन बैलों में बिना फिरी लाटट कारण के अनुपाता 10 रहने पर, त्याग पत्र खोकार हो जाने पर, अस्तित्वात प्रत्याव पारित हो जाने पर सदत्यता खत्ता: हो त्याकृत हो जायेगी ।

- 7:- संस्था के द्वारा होने वाले दंग :- संस्था के द्वारा होने वाले दंग होगे ।

**इच्छा नामाच्य समारोह :-**

**इच्छा वृद्धिकारिणी समिति :-**

- 8:- साधारण तभा :-

**इच्छा गठन :-**

साधारण तभा का गठन संस्था के तभी वर्ग के स्वत्यों को मिलाकर किया जायेगा ।

**इच्छा भेड़ी :-**

साधारण तभा की तामाच्य भेड़ी में 50 वर्ष पर्वी भेड़ी वेळों को आवश्यकतानुसार कमी भी कुलाया जा सकता है ।

**इच्छा सुखा वर्षयि :-**

साधारण तभा की तामाच्य भेड़ी को 15 दिन पूर्व वर्षीय भेड़ी वेळों तोन दिन पूर्व की कुलाया देकर ही कुलाया जा सकता है ।

**इच्छा ग्राहण पुरुति :-**

साधारण तभा की तभी प्रकार वेळों के लिये कुल सदत्य संख्या की 2/ 3 की अपस्थिति आवश्यक होगी किन्तु कोरम के अन्तर्गत में स्थानित

बैठकों को दो हूटे बाद पुनः आहूत करने पर कोरम का प्रतिबन्ध न होगा, लेकिन स्पेचल के पिछे पूर्व ही रहें।

#### ५४३ प्रियोचन पार्किंग अधिकारान की समिति :-

ताधारण तभा का प्रियोचन पार्किंग अधिकारान प्रति वर्षीय को समाप्ति पर प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित तिथि पर किया जायेगा।

#### ५४४ ताधारण तभा के कर्तव्य :-

1:- पर्याय वर्ष के लिये प्रबन्धकों द्वारा तमिति का इनाम करना।

2:- वार्षिक जाय घ्यय/ बजट को पारित करना।

3:- नियमों व प्रतियमों में ३/५ के बहुमत से संशोधन कायवाही करना।

#### ५४५ प्रबन्धका दिनों समिति :-

Shashi Baldev Singh  
प्रियोचन पार्किंग अधिकारा देवी  
ग्रामपालीका ०१३२१४/४

#### ५४६ गठन :-

प्रबन्धका दिनों समिति का गठन संस्था के सभी वर्ग के सदस्यों को मिलाकर ताधारण तभा की बैठक में इनाम द्वारा बहुमत से किया जायेगा जिसमें स्क अधिकारा, स्क प्रबन्धक/ मंडी, स्क बोर्ड घ्यका तथा घार तदस्य, इस प्रकार कुल तात घ्यकायों की प्रबन्धका दिनों समिति होगे। आवायकतातुरार संख्या ।। तक बढ़ाई व ३ तक घटाई जा सकती है।

#### ५४७ बैठकें :-

प्रबन्धका दिनों समिति को तामान्य बैठकें बर्षीमें तीन व किसीसाँ बैठकों को आवायकतातुरार करनी भी कुलाया जा सकता है।

#### ५४८ तुलना अधिकारी :-

प्रबन्धका दिनों समिति को तामान्य बैठकों को ७ दिन पूर्व व प्रियोचन वर्षों को २४ घंटे पूर्व लो तूलना देकर ही तुलाया जा सकता है।

#### ५४९ गण पूर्ति :-

प्रबन्धका दिनों समिति लो सभी विवार की बैठकों के लिये कुल तदस्य संख्या को २/३ लो उपस्थिति आवायक होगी किन्तु कोरम के अभाव में स्थानित बैठकों को स्क बोर्ड बाद पुनः आहूत करने पर कोरम का प्रतिबन्ध न होगा लेकिन एकल के पिछो पूर्व ही रहें।

#### ५५० रिति स्थानों की पूर्ति :-

प्रबन्धका दिनों समितिले रिको स्थानों की पूर्ति ताधारण तभा की बैठक में पुनावद द्वारा बहुमत से शोषणाय काल के लिये किया जायेगा।

#### ५५१ शार्प कुल :-

प्रबन्धका दिनों समिति का काय काल पर्यवर्तन का होगा।

**३८ प्रबन्धकारिणी तमिति के अधिकार स्वं कर्तव्य :-**

- 1:- सुन्धा का प्रबन्ध कार्य करना ।
- 2:- पार्श्व प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित करना ।
- 3:- पार्श्व कार्यक्रमों की उप रेखा तैयार कर उनसे लागू करना ।
- 4:- सुन्धा की लम्बता घल व अचल संपत्ति पर नियन्त्रण रखना ।
- 5:- उप तमितियुं व उप नियमों को ज्ञाना और उनके पदाफिारियों को नियुक्त करना ।
- 6:- सुन्धा के विधायिकों को तुलना ।
- 7:- उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य संस्कार, केन्द्र सरकार, लोक सभा, लोक विधायिका समिति, नगरीय विधायिका समिक्षण, सूक्ता/इडा लैन, कपाठ नाथार्ड, पूनिलेफ तिपता, तिड्डी, नोराड, आधार्ड, महिला कल्याण निगम, धारा विधायिका स्वं पूर्वान्वयन विधायिका, लोक सभा विधायिका, वित्तीय सुन्धानों, सुन्धाओं स्वं जागरिकों तथा आष्टकि तहायता झण, अनुदान, चन्दा, दान, अमानतें, घल व अवल संवादित आदि प्राप्त करना ।

**10:- प्रबन्धकारिणी तमिति के वदाफिारियों के अधिकार स्वं कर्तव्य :-**

Shashi Balu Singh  
७०८  
प्रानकमारा देवा  
ग्रामीण विकास बोर्ड

**१. अध्यक्ष :-**

- 1:- तभी प्रकार की बैठकों को जाहाजता स्वीकार करना ।
- 2:- प्रस्ताव आदि रखने की अनुमति प्रदान करना ।
- 3:- विधायिका पर सुन्धा के बायों का निर्णयण करना ।
- 4:- समाज गत दोनों पर जवने स्वं निष्ठापित गत का प्रयोग करना ।
- 5:- बैठकों आदि की विधियों का अनुसरेदन व परिवर्तन करना ।
- 6:- प्रबन्ध समिति द्वारा अनुमोदित त्याग पत्रों को स्वीकार करना ।
- 7:- उद्देश्यों की पूर्ति हेतु साधक प्रयात करना ।

**२. प्रबन्धक/मन्त्री :-**

- 1:- सभी प्रकार की बैठकों को ज्ञाना व तंत्रालित करना ।
- 2:- बैठकों की वार्ताविधियों को निर्धारित करना व प्रकार सुनिश्चित करना ।
- 3:- पार्श्व प्रगति रिपोर्ट तैयार कर प्रबन्ध तमिति के ताथा प्रस्तुत करना ।
- 4:- पार्श्व आय व्याय/ बजट को ताप्तरण सभा ने पारित करना ।
- 5:- सुन्धा ने आदि भेज सभी प्रकार के यत्र व्यवहार करना ।
- 6:- सुन्धा दो ओर भेज सभी बिंदु सुन्धार्यों पर हतोक्त करना ।
- 7:- सुन्धा दो ओर भेज सभी कानूनी कार्यालयी का संचालन करना ।
- 8:- सुन्धा के सुधृ प्रशासनिक अधिकारी के लिए कार्य करना ।

- 9:- उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ₹०.३० रुपान, चन्दा, दान आदि प्राप्त करना ।
- 10:- संस्था द्वारा संचालित शिक्षण संसंगीत अधिकारों का संचालन
- 11:- अध्यापकों, कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन, पदोन्नात, भेतन पूर्ण, भेतन पितरण सुन पद घृत करना ।
- 12:- आधिकारकतानुसार सभ्ये दत्त व्यार तक ध्यय करना अधिक धन के लिये प्रबन्ध समिति में अनुमोदन प्राप्त करना ।
- 13:- संस्था की समता बल व अवल समिति सुन अधिकारों पर नियन्त्रण रखना ।
- 14:- सभ्ये सभ्य पर प्रबन्ध समिति द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना ।
- 15:- उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी विभाग सुन अन्य संस्थाओं से संपर्क स्थापित करना ।

#### संस्था कोष धन :-

- 1:- प्रार्थित आय ध्यय का विवरण देयार करना ।
- 2:- आय ध्यय संबन्धी अधिकारों को लिपिक्क करना ।
- 3:- तद स्थीर ते सदस्यता रात्मा प्राप्त कर उनको रत्नादेश देना ।
- 4:- प्रबन्धक/मन्त्री द्वारा वक्ताधारित वित्ती द्वा भूगतान के सा ।
- 5:- सभ्ये एक व्यार ते अधिक धन को खेले जाए करना ।

#### 11:- संस्था के नियमों द्वारा दिया प्राप्ति :-

Shashi Prakash Singh  
 श्रीवक्त भारी देवी  
 गिर्वालेश्वर - ५२१०१३  
 11/1/2019

संस्था के नियमों द्वारा दिया दिया प्राप्ति :-  
 सभा की बैठक में ३/५ के बहुत से सोनायटों रखिक्कान अधिनियम  
 की धारा १२ सुन ४ के १ के अनुसार दिया जायेगा ।

#### 12:- संस्था का कोष :-

संस्था का साता कोष इती राहदारी या सान्तार प्राप्ति भेज  
 संस्था के नाम छाता छोलक वा विदा जायेगा तथा धन का आहरण  
 प्रबन्धक/मन्त्री सुन प्रबन्ध समिति द्वारा अधिकृत इती से अन्य पदोन्नात द्वारा विभागी  
 या सदस्य के साथ सुनुक्त वक्ताधारों ते दिया जायेगा ।

#### 13:- संस्था का नेतृत्व परीक्षण :-

संस्था के आय ध्यय का समता नेतृत्व परीक्षण प्राप्त र्षी सह की कामि  
 पर प्रबन्ध समिति द्वारा अधिकृत इती दो ग्रंथ औडीटर द्वारा कराया  
 जायेगा ।

#### 14:- संस्था द्वारा अधिकृत उक्ते विभागी कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :-

संस्था द्वारा अधिकृत उक्ते विभागी के समता प्रकार के वाद - विधादो के  
 विवरारे अनपद कानपुर देहात के लोक न्यायालय द्वारा हो रहे तथा  
 समता प्रकार की अदालती कार्यवाही का संचालन प्रबन्धक/मन्त्री द्वारा

: ५ :

अधारा उनके द्वारा अपूर्त शिक्षा योग्य ग्रन्थिता द्वारा किया जायेगा।

15:- बुन्धा के गमिलेख :-

- 1:- सदस्यता रजिस्टर।
- 2:- एजेन्डा रजिस्टर।
- 3:- कार्यवाही रजिस्टर।
- 4:- कैश बुक।
- 5:- लेजर।
- 6:- बाउचर फाइल व अन्य सम्पर्क तथा पर आवश्यकतानुसार।

16:- प्रिष्ठन :-  
बुन्धा के प्रिष्ठन और विधिति शिक्षा के निकारण की जारीहो तो ताप्टो व  
रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धरा 13 रुपये 14 के अन्तर्गत हो जायेगी।

तत्त्व प्रतिलिपि प्राप्ति

=====

हस्ताक्षर :-

Shashi Balq Singh  
कृष्णमाला

दिनांक :-

२० दिसंबर २०१७/१८

संशोधित नियमावली

चन्दमान सिंह मेमोरियल शिक्षण संस्थान ।

1. संस्था का नाम-

प्राम व पोर्ट इंडिक, तहसील डेलापुर, जनपद कानपुर देहात,  
उत्तर प्रदेश-209302

2. संस्था का पता-

रामपूर्ण उत्तर प्रदेश ।

3. संस्था का कार्यक्रम-

समृद्धि पत्र के अनुसार होंगे ।

4. संस्था के उद्देश्य-

5. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग-

अ. आजीवन सदस्य-  
संस्था को एक बार में एक मुश्त रूपये पैसे हजार एक सी नगद या इससे अधिक मूला की  
अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्रदान करने वालों को आजीवन सदस्य बनाया जायेगा ।

ब. सामान्य सदस्य-  
संस्था को प्रति वर्ष अप्रैल माह में 101/-रु 0 वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करने वालों को  
सामान्य सदस्य बनाया जायेगा ।

6. सदस्यता की रामापति-

मृत्यु होने पर, पागल होने पर, दिवालिया होने पर, कोढ़ी होने पर, किसी न्यायालय द्वारा  
दण्डित होने पर, संस्था के नियमों का पालन न करने पर, लगातार तीन बैठकों में बिना  
किसी स्पष्ट कारण के अनुपस्थित रहने पर, त्यागपत्र स्वीकार हो जाने पर, अविश्वास प्रस्ताव  
पारित हो जाने पर, सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी ।

7. संस्था के अंग-

संस्था के दो अंग होंगे ।

अ. साधारण सभा ।

ब. प्रबन्धकारिणी समिति ।

8. साधारण सभा-

अ. गठन-

साधारण सभा वज्र गठन संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा ।

ब. बैठकें-

साधारण सभा की सामान्य बैठकें वर्ष में एक व विशेष बैठकों को आवश्यकतानुसार कभी भी  
बुलाया जा सकता है ।

२३२५१४

११८

२१

Page No.



**स. सूचना अधिकी-**  
साधारण समा की सामान्य बैठकों को 15 दिन पूर्व व विशेष बैठकों को आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाया जा सकता है।

**द. गणपूर्ति-**  
साधारण समा की सामान्य बैठकों एवं विशेष बैठकों के लिए कुल सदस्य संख्या की 2/3 की उपस्थिति आवश्यक होगी, किन्तु कोरम के अभाव में स्थगित बैठकों को दो घण्टे बाद पुनः आहूत करने पर कोरम का प्रतिवन्ध न होगा, लेकिन ऐण्डा के विषय पूर्व ही रहेंगे।

**घ. विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि-**  
साधारण समा का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष सत्र की समाप्ति पर किया जायेगा, जिसकी तिथि प्रबन्धसमिति द्वारा तय कर ली जायेगी।

**र. साधारण समा के कर्तव्य-**

1. पाँच वर्ष के लिए प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
2. वार्षिक आय/व्यय बजट को पारित कराना।
3. नियमों व विनियमों में 3/5 के बहुमत से संशोधन कार्यवाही करना।

**९. प्रबन्धकारिणी समिति-**

**अ. गठन-**  
प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा, जिसका चुनाव द्वारा बहुमत से किया जायेगा। जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/मंत्री एक कोषाध्यक्ष तथा आठ सदस्य। इस प्रकार कुल 12 व्यक्तियों की प्रबन्धकारिणी समिति होगी। कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है।

**ब. बैठकें-**  
प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकें वर्ष में तीन व विशेष को 24 घण्टे पूर्व देकर ही बुलाया जा सकता है।

**स. सूचना अधिकी-**  
प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों को 7 दिन पूर्व व विशेष बैठकों को 24 घण्टे पूर्व की सूचना देकर ही बुलाया जा सकता है।

२०२२-२३/११

(W)

२८/११/२०२२

Shashi Belusia

### स.गणपूर्ति-

प्रबन्धकारिणी समिति की सभी प्रकार की बैठकों के लिए कुल सदस्य संख्या की 2/3 की उपस्थिति गणपूर्ति होगी, किन्तु कोरम के अभाव में स्थगित बैठकों को एक घटे बाद पुनः आहूत करने पर कोरम का प्रतिबन्ध न होगा, लेकिन एजेण्डा के विषय पूर्व ही रहेंगे।

### य.रिक्त स्थानों की पूर्ति-

प्रबन्धकारिणी समिति के रिक्त स्थानों की पूर्ति साधारण सभा की बैठक में चुनाव द्वारा घुम्फत रो शेष कार्यकाल के लिए किया जायेगा।

### र.कार्यकाल-प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा।

### ल.प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य-

1. संस्था का प्रबन्धकार्य नियमानुसार सम्पादित करना।
2. वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित करना।
3. वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर उनको लागू करना।
4. संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर नियंत्रण रखना।
5. उपसमितियों व उपनियमों को बनाना और उनके पदाधिकारियों की नियुक्ति करना।
6. संस्था के विवादों को सुलझाना।
7. संस्था के विकास का प्रयास करना।
8. उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग, मानव संशाधन विकास मंत्रालय, पर्यावरण विभाग, ग्राम्य विकास अभियान, नगरीय विकास अभियान, सूड़ा/झूड़ा सेल, कपाठ, नाबांड, चूनीसेफ, सिफसा, सिंडवी, नौरांड, आवांड, महिला कल्याण निगम, बाल विकास पुष्टाहार विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वित्तीय संस्थाओं, महिला एवं नागरिकों से आर्थिक सहायता, त्रण, अनुदान, चन्दा, दान, अमानते, चल अचल सम्पत्ति आदि प्राप्त करना।

### 10.प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य-

#### अ.अध्यक्ष-

1. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता द्वीकार करना।
2. प्रस्ताव आदि रखने की अनुमति प्रदान करना।
3. संस्था के कार्यों का समय समय पर निरीक्षण करना।
4. समान मत होने पर अपने एक निर्णायक मत का प्रयोग करना।
5. बैठकों आदि की तिथियों का अनुमोदन व परिवर्तन करना।
6. प्रबन्धसमिति द्वारा अनुमोदित त्यापगत्रों को द्वीकार करना।
7. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सार्थक प्रयास करना।

२३-२०१२

म/

2024-01-18

#### ब.उपाध्यक्ष-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके समरत कार्यों को संपादित करना और सामान्य स्थिति में उनका सहयोग करना ।

#### स.प्रबन्धक/मंत्री-

- 1.सभी प्रकार वीडियो को बुलाना व संचालित करना ।
- 2.वीडियो की कार्यवाहीयों को लिपिबद्ध करना व पढ़कर सुनाना ।
- 3.वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तैयार कर प्रबन्धसमिति के समक्ष प्रस्तुत करना ।
- 4.वार्षिक आय व्यय/बजट को साधारण सभा द्वारा पारित कराना ।
- 5.संस्था के ओर से सभी प्रकार के पत्र व्यवहार करना ।
- 6.संस्था की ओर से समरत बिलों एवं बातचरों पर हस्ताक्षर करना ।
- 7.संस्था की ओर से समस्त कानूनी कार्यवाही का संचालन करना ।
- 8.संस्था के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करना ।
- 9.उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण, अनुदान, चन्दा, दान आदि प्राप्त करना ।
- 10.संस्था द्वारा संचालित शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन व उनका प्रबन्धकार्य करना ।
- 11.अध्यापकों, कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन व पदोन्नति, वेतन वृद्धि एवं वेतन वितरण एवं पदच्युत करना ।
- 12.आवश्यकतानुसार रूपये दस हजार तक व्यय करना, अधिक धन के लिए प्रबन्धकारिणी समिति से अनुमोदन प्राप्त करना ।
- 13.संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति एवं अभिलेखों पर नियंत्रण रखना ।
- 14.समय समय पर प्रबन्धसमिति द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना ।
- 15.उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी विभाग एवं अन्य संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना ।

#### द.कोषाध्यक्ष-

- 1.वार्षिक आय व्यय का विवरण तैयार करना ।
- 2.आय व्यय सम्बन्धी अभिलेखों को लिपिबद्ध करना ।
- 3.सदस्यों से सदस्यता शुल्क प्राप्त कर उनको रसीदे देना ।
- 4.प्रबन्धक/मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना ।
- 5.रूपये एक हजार से अधिक धन को बैंक में जमा कराना ।

#### 10.संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया-

संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, साधारण सभा वीडियो में 3/5 के बहुमत से सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 12 एवं 4(क) के अनुसार किया जायेगा ।

२०२३-२५/३

११८

Digitized by srujanika@gmail.com



**11. संस्था का कोष-**

संस्था का समस्त कोष किसी राष्ट्रीयकृत वैक या मान्यता प्राप्त वैक में संस्था के नाम साता होलकर जमा किया जायेगा एवं धन का आहरण प्रबन्धक/मंत्री एवं प्रबन्धराजिति द्वारा अधिकृत घटित एवं अन्य पदाधिकारी या सदस्य के साथ संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

**12. संस्था का लेखा परीक्षण-**

संस्था के समस्त आय व्यय का लेखा परीक्षण चर्प सत्र की समाप्ति पर संस्था द्वारा नियुक्त किसी योग्य आईटर द्वारा कराया जायेगा।

**13. संस्था द्वारा या उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व-**

संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध समर्पित प्रकार के बाद विवाद जिला कानपुर देहात के सभी न्यायालय द्वारा ही होगे तथा समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही का रांचालन प्रबन्धक/त्री द्वारा अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी योग्य अधिवक्ता द्वारा किया जायेगा।

**14. संस्था के अभिलेख-**

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. केश बुक
4. लेजर
5. बाउचर फाइल व अन्य समय समय पर आवश्यकतानुसार

**15. विधटन-**

संस्था के विधटन और विधटित सम्पत्ति के निरतारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्यप्रतिलिपि सत्यापित

दिनांक-

२३-२-२०१३

हस्ताक्षर-

(MS)

Shrikant B.C.

२३-२-२०१३

संस्था चन्द्रभान सिंह मेमोरियल शिक्षण संस्थान, पता ग्राम व पोस्ट इँडिक, तह0 डेरापुर, जनपद कानपुर देहात की प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष 2019-2020					
क्रमांक	नाम,	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.श्री सुरेन्द्र सिंह	क0सं0 नाम, सिंह	श्री हरवंश सिंह	शंकरगंज, इँडिक, कानपुर देहात	अध्यक्ष	व्यापार
2.श्रीमती शशीबाला सिंह	श्रीमती शशीबाला सिंह	श्री संतोष कुमार सिंह गौर	नहरपुल, पो.इँडिक, कानपुर देहात प्रबन्धक/ सचिव		जनसेवा
3.श्रीमती मिथ्यलेश कुशवाहा	श्री लाल सिंह कुशवाहा		3718 चौक चेंखनवाला, नई दिल्ली	कोषाध्यक्ष	जनसेवा
4.श्रीमती सीमा सिंह	श्री दिग्विजेन्द्र सिंह		जो-छियाना चौक, फतेहपुर।	सदस्य	जनसेवा
5.श्रीमती सरला सिंह	श्री कीर्तिवीर सिंह		मु0पो0कटरा, जनपद बॉदा	सदस्य	जनसेवा
6.श्रीमती ऊषा चौहान	श्री चन्द्र प्रताप सिंह चौहान		मु0पो0सूलावाद, कानपुर देहात।	सदस्य	जनसेवा
7.श्री शैलेन्द्र सिंह	स्व. जुगल किशोर सिंह		मु0पो0अल्लापुर, इलाहाबाद	सदस्य	स0सेवा
8.श्री राम सेवक	श्री गुलजारी		59, गोपालपुर, अधरियामऊ, असलातगंज, कानपुर देहात।	सदस्य	कृषि
9.श्री उदय सिंह चन्देल	श्री राम सिंह चन्देल	ग्राम व पोस्ट बन्नापुर, कानपुर देहात	सदस्य		स0सेवा
10.श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	श्री द्वारिका सिंह		ओम नगर, इँडिक, कानपुर दे0	सदस्य	व्यापार
11.श्री मोहित सिंह	श्री संतोष कुमार सिंह		नहरपुल, इँडिक, कानपुर देहात	सदस्य	व्यापार

ShashiBala singh

रुद्रे-२५१२

३७८। चौहान